इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.inसे भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2019—ज्येष्ठ 17, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.

(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 01-09-02018-तीस.— भोपाल, दिनांक 31 मई 2019

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय

(राजपत्रित) सेवा के लिए भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-- इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2019 है।

2. **परिभाषाएं.**-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) ''समिति'' से अभिप्रेत है, लोक सेवा आयोग की समिति;

(घ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, आयुक्त, पुरातत्व;

(ङ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, नियम 11 के अंतर्गत भरती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ज) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय--समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8--5--पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमो से सलग्न अनुसूची;

(ञ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के

संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो ;

(ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो ;

(ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय (राजपत्रित) सेवा;

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पद मूलरूप से धारण कर रहे हों।

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भरती किए गए हों।

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय–समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भरती का तरीका.**–

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :–

(क) अनुसूची–दो तथा तीन में विहित किए गए अनुसार सीधी भरती द्वारा, चयन द्वारा एवं प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।

(ख) अनुसूची–चार के कालम (2) में दर्शाए गए अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(ग) इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों पर मूलरूप से नियुक्त व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में वर्णित पदों की संख्या या अनुसूची–दो में दर्शाई गई प्रतिशतता से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारभं होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, सरकार द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम–6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भरती के लिए ,पात्रता की शर्तें.**– चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(1) **आयु.**–(क) उसने चयन प्रारंभ होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबद्ध हो तो उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार किसी महिला अभ्यर्थी की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु–सीमा, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना क्रार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की, अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु–सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.– पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किसी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में छह मास से अनिम्न की निरंतर कालावधि तक रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी

सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु–सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण.– पद ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग का रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन छह से अनिम्न मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा था और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन से अनधिक वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया गया था :–

(1) ऐसा भूतपर्व सैनिक, जो सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो; और

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण कर लेने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर,

सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं, उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो। ऐसेव्यक्ति जो दिनांक 1–1–1963 के बाद पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक (इन्स्ट्रक्टर्स) के रूप में एन.सी.सी. में भर्ती किए गए हों, उन्हें उनकी आरंभिक/विस्तारित अवधि समाप्त होने पर एन.सी.सी. से निर्मुक्त कर दिए जाने पर यह समझा जाएगा कि वे राज्य सरकार के अधीन असैनिक पदों पर नियोजन के प्रयोजन के लिए छंटनी किए गए सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी वास्तविक आयु में से उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और यदि इसके परिणामस्वरूप आयु किसी विशिष्ट पद के लिए विहित की गई उच्चतर आयु–सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो वे उस पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य समझे जाएंगे बशर्ते कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 1134–सी आर–88–एक(तीन) दिनांक 27–5–1966 में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रमाण–पत्र रखते हों;

(ङ.) विधवा, निराश्रित या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु–सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में सामान्य उच्चतर आयु–सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के मामले में सामान्य उच्चतर आयु–सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य/निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं उच्चतर आयु–सीमा नियमानुसार शिथिलनीय होगी;

(झ) नगर सेना (होम गार्ड्स) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान–कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी.– (1) ऐसे अभ्यर्थी जो ऊपर खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाए गए हैं, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई हो तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।

टिप्पणी.– (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु–सीमा शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थी को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**– अभ्यर्थी के पास, अनुसूची–तीन में यथादर्शित सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए:

(क) आपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर, आयोग किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो समिति की राय में चयन के लिए अभ्यर्थी के विचारण को न्यायसंगत ठहराती हों, और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी, जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि ली हो, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से मान्यता नहीं दी गई है, समिति के विवेकानुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा।

(3) **फीस.**– अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– (1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के संबंध में निरर्हता माना जा सकेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई, न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो तो वह सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध ऐसे मामले किसी न्यायालय में लंबित हैं, तो उसकी नियुक्ति का विषय आपराधिक मामले के अंतिम निपटारे तक लंबित रखा जाएगा।

(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों अथवा यदि अभ्यर्थी महिला है जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही पत्नी हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**– परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चिय

अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती.–**

(1) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि आयोग के परामर्श से सरकार, समय–समय पर अवधारित करे।

(2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी, जैसाकि आयोग के परामर्श से सरकार, समय–समय पर जारी करे।

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भरती के प्रक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों को, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हैं, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त अनुशंसित किया गया हो, उप–नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तयों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण किया जाएगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कतिपय कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) यदि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां, सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएंगी और इन रिक्तियों को उस प्रवर्ग से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अनारक्षित नहीं किया जाएगा जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित रखा गया है।

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.–**

(1) आयोग ऐसे स्तर से उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि समिति अवधारित करे और ऐसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं किन्तु आयोग द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं सरकार को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए, उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम चयन सूची में आए हों।

(3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि सरकार का ऐसी

जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु अनुसूची—चार में उल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी :

परन्तु यदि पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य यथा निदेशित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उस दशा में, पदोन्नति समिति में उसी प्रास्थिति के एक सदस्य को सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

(2) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए, अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार उसके कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।

(3) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का अनुसरण किया है तथा उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुपालन में है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (1) के उपबंधों की पूर्ण जानकारी है।

(4) आरक्षित पदों की पदोन्नति के लिए प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

5. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से की जाएगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निदेशित करे। किन्तु ऐसा अन्तराल सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

15. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.–**

समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है, या सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर, उतने वर्षों की सेवा, चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में पूर्ण कर ली थी, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों :

परंतु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को केवल उसके द्वारा विहित सेवा की कालावधि पूर्णकर लेने के आधार पर ही उससे वरिष्ठ व्यक्तियों से बरीयता में पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

16. **चयन सूची.–**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची पर अन्य दस्तावेजों के साथ विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त चयन सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की जानकारी समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों पर, विचार करने के पश्चात् को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, जो उसकी राय में न्यायसंगत हों, चयन सूची अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची जब तक कि नियम 14 के उप–नियम (5) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाता, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या उनके कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे तो, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

17. **आयोग से परामर्श.–** विभागीय पदोन्नति समिति की, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के बारे में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उप खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने की अपेक्षा का अनुपालन हो गया है। आयोग के साथ पृथक् से परामर्श आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या उनके कर्तव्य के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे तो, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.–**

(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी जिसमें ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आए हों :

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है अथवा जिसका नाम चयन सूची में अगले क्रम में हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि रिक्ति तीन माह से अधिक के लिए रहने की संभावना नहीं है।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची से उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में, ऐसी हो, जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

19. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**– इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रांरभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई है।

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिए)
वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, संचालनालय (राजपत्रित सेवा)	1 आयुक्त / संचालक	01	प्रथम–श्रेणी	141800–214700(17)	भारतीय प्रशासनिक सेवा
	2 संयुक्त संचालक	01	–तदैव–	67300–206900(13)	
	3 उप संचालक	06	–तदैव–	67300–206900(13)	
	(एक) क्षेत्रीय–3		–तदैव–	67300–206900(13)	
	(दो) उत्खनन–1		–तदैव–	67300–206900(13)	
	(तीन) संग्रहालय–1		–तदैव–	67300–206900(13)	
	(चार) तकनीकी–1		–तदैव–	67300–206900(13)	
	4 पुरातत्ववेत्ता–सह–संग्रहाध्यक्ष	22	द्वितीय–श्रेणी	56100–177500(12)	पुरातत्ववेत्ता 06 पद एवं संग्रहाध्यक्ष 15 पद एवं उज्जैन संग्रहालय हेतु 01 नवीन पद कुल 22 पद समान पद श्रेणी तथा कर्तव्य के ।
	5 पुरातत्वीय अधिकारी	01	–तदैव–	56100–177500(12)	
	6 पुरालेखवेत्ता	01	–तदैव–	56100–177500(12)	
	7 मुद्राशास्त्री	02	–तदैव–	56100–177500(12)	
	8 कीपर	02	–तदैव–	56100–177500(12)	
	9 लेखाधिकारी	01	–तदैव–	56100–177500(12)	
	10 सहायक यंत्री	05	–तदैव–	42700–135100(10)	भर्ती नियम, 1998 में 02 पद सहायक यंत्री के स्वीकृत हैं तथा 02 पद

					रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं 01 पद उद्यान शास्त्री कुल 05 पद सम्मिलित हैं।
	11 मुख्य रसायनज्ञ	01	–तदैव–	42700–135100(10)	
	12 मुख्य कलाकार	01	–तदैव–	42700--135100(10)	
अभिलेखागार अनुभाग	1 उप संचालक	01	प्रथम–श्रेणी	67300–206900(13)	
	2 पुरालेख अधिकारी (आर्किविस्ट)	04	द्वितीय–श्रेणी	56100–177500(12)	
	3 वैज्ञानिक अधिकारी	01	द्वितीय–श्रेणी	(1)42700–135100(10) (2)56100--177500(12)	(1) जब पद पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। (2) लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)
"भर्ती का तरीका"

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशतता			अभियुक्तियां
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संस्कृति विभाग, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय	(1) आयुक्त / संचालक	1	–	-	100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा
	(2) संयुक्त संचालक	1	–	100%	–	
	(3) उप संचालक	6	-	100%	–	पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति न मिलने को दशा मे, प्रतिनियुक्ति या अन्य सेवाओं से किन्हीं व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जैसा कि शासन द्वारा प्रत्येक अवसर पर अवधारित किया जाए, भरा जाएगा।
	(एक) क्षेत्रीय–3			100%		
	(दो) उत्खनन–1		-	100%	–	
	(तीन)संग्रहालय–1		-	100%	–	
	(चार) तकनीकी–1		-	100%	–	
	(4) पुरातत्ववेत्ता–सह–संग्रहाध्यक्ष	22	50%	50%		
	(5) पुरातत्वीय अधिकारी	1	100%	-	–	
	(6) पुरालेखवेत्ता	1	100%	-	–	
	(7) मुद्राशास्त्री	2	100%	-	–	
	(8) कीपर	2	-	100%	–	
	(9) लेखाधिकारी	1	-	-	100%	राज्य वित्त तथा लेखा सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
	(10) सहायक यंत्री	5	-	100%	–	पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति न मिलने की दशा में, प्रतिनियुक्ति या
	(11) मुख्य कलाकार	1	-	100%		

					—	अन्य सेवा से किसी व्यक्ति के स्थानांतरण द्वारा, जैसा कि शासन द्वारा प्रत्येक अवसर पर अवधारित किया जाए, भरा जाएगा।
	(12) मुख्य रसायनज्ञ	1	-	100%	—	
अभिलेखागार अनुभाग	(1) उप संचालक	1	-	100%	—	पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति न मिलने की दशा में अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति या किसी व्यक्ति के स्थानांतरण द्वारा जैसा कि शासन द्वारा प्रत्येक अवसर पर अवधारित किया जाए, भरा जाएगा।
	(2) पुरालेख अधिकारी (पुरालेखपाल)	4	25%	75%	—	--तदैव--
	(3) वैज्ञानिक अधिकारी	1	75%	25%	—	--तदैव--

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिए)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संस्कृति विभाग, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय (राजपत्रित सेवा)	(1) पुरातत्वीय अधिकारी	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदेशानुसार	**अनिवार्य :** (1)प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) माध्यमिक स्तर तक संस्कृत एक विषय के रूप में। **वांछनीय—** किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पुरातत्व में डिप्लोमा तथा प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में अनुसंधान कार्य। **टीप.** अभ्यर्थी का अनिवार्य रूप से मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्कूल/महाविद्यालय से हायर सेकेण्डरी या स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	
	(2) पुरातत्ववेत्ता—सह—संग्रहाध्यक्ष	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	
	(3) पुरालेखवेत्ता	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	
	(4) मुद्राशास्त्री	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	
अभिलेखागार अनुभाग	(1) पुरालेख अधिकारी (पुराअभिलेखापाल)	21 वर्ष	—तदैव—	**अनिवार्य—** (क) आधुनिक तथा मध्यकालीन इतिहास	

				विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य कोई उपाधि। (ख) पुरालेख कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। (ग) अंग्रेजी का ज्ञान। **वांछनीय–** पुरालेख अनुरक्षण कार्य का ज्ञान तथा मराठी या फारसी का ज्ञान। **टीप.** अभ्यर्थी का अनिवार्य रूप से मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्कूल/महाविद्यालय से हायर सेकेण्डरी या स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	
	(2) वैज्ञानिक अधिकारी	21 वर्ष	–तदैव–	**अनिवार्यः** (क) रसायन शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य कोई अन्य उपाधि। (ख) राष्ट्रीय अभिलेखागार या सरकार से मान्यताप्राप्त संस्था से पुरालेख संरक्षण में प्रशिक्षित। **वांछनीय–** अभिलेखागार विभाग में अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण का पांच वर्ष का अनुभव। **टीप.** अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्कूल/महाविद्यालय से हायर सेकेण्डरी या स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	

अनुसूची–चार
(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा का अनुभव	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
संस्कृति विभाग पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय	1. उप संचालक	5 वर्ष	संयुक्त संचालक	1 अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य–**अध्यक्ष** 2 प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग **–सदस्य** 3 आयुक्त/संचालक, पुरातत्व, अभिलेखागर एवं संग्रहालय **–सदस्य** 4 उप सचिव, संस्कृति विभाग संयोजक **–सदस्य सचिव** **टीप** :– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोई प्रतिनिधि न होने की दशा में उस वर्ग का समान पद–श्रेणी का अधिकारी सम्मिलित किया जाएगा।
	2. पुरातत्ववेत्ता–सह–संग्रहाध्यक्ष/ पुरातत्वीय अधिकारी/ पुरालेखवेत्ता/ मुद्राशास्त्री/ / कीपर/ मुख्य रसायनज्ञ/ मुख्य कलाकार	5 वर्ष	उप संचालक (क्षेत्रीय) / उप संचालक (संग्रहालय) / उप संचालक (उत्खनन) टिप्पणी– उप संचालक (उत्खनन) के पद पर पदोन्नति के लिए कम से कम 5 उत्खनन का अनुभव आवश्यक होगा।	
	3.सहायक यंत्री	5 वर्ष	उप संचालक (तकनीकी)	
	4. उपयंत्री	सिविल इंजीनियर स्नातक उपाधिधारक के लिए 5 वर्ष का अनुभव तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी के लिए 8 वर्ष का अनुभव	सहायक यंत्री	

	5. वरिष्ठ कलाकार	5 वर्ष	मुख्य कलाकार	
	6. (क) वरिष्ठ मार्गदर्शक (ख) तकनीकी सहायक (उत्खनन) तकनीकी सहायक (लेखन)	5 वर्ष 8 वर्ष	पुरातत्ववेत्ता–सह–संग्रहाध्यक्ष, कीपर	
	7. रसायनज्ञ	8 वर्ष	मुख्य रसायनज्ञ	
अभिलेखागार अनुभाग	1.पुरालेख अधिकारी (आर्किविस्ट)	पुरालेख अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव	उप संचालक	1. अध्यक्ष– लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य–**अध्यक्ष**
	2.वैज्ञानिक अधिकारी	8 वर्ष	उप संचालक	2. सचिव मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग **–सदस्य**
	3. पंजीयक/ सहायक पुरालेखपाल ग्रेड–1	पंजीयक के पद पर 5 वर्ष की सेवा अथवा सहायक पुरालेखपाल वर्ग–1 के पद पर 8 वर्ष की सेवा।	पुरालेख अधिकारी	3. संचालक, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय **–सदस्य** 4. उप सचिव /विशेष सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग **–सदस्य सचिव** **टीप** : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का कोई प्रतिनिधि न होने की दशा में, उस वर्ग का समान पद–श्रेणी का अधिकारी सम्मिलित किया जाएगा।

No. F-01-09/2018/30 Bhopal, Dated May 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment for Madhya Pradesh Archaeology, Archives and Museums (Gazetted) Services, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.-**

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Archaeology, Archives and Museums (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2019.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the State Government.

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission.

(c) "Committee" means committee of PSC;

(d) "Competent authority" means commissioner, Archaeology;

(e) 'Examination' means the competitive examination held for recruitment under rule 11;

(f) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(g) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5-XXV/4/84, dated the 26th December 1984 as amended from time to time;

(i) "Schedule" means the schedules appended to these rules;

(j) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribes specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(k) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Aricle 342 of the Constitution of India;

(l) "Service" means the Madhya Pradesh Archaeology, Archives and Museums (Gazetted) Service.

(n) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service.-** The Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule 1.

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these Rules,

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce, the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.-**

(1) After commencement of these rules, the recruitment to service, shall be made by following methods, namely :-

(a) by direct recruitment, by selection and by Competitive examination as prescribed in Schedule II and III.

(b) by promotion as shown in column (2) of Schedule-IV.

(c) by transfer of persons appointed substantively on such posts in such services as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, any time, exceed the number of posts mentioned in schedule-I or the percentage shown in Schedule II.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall on each occasion be determined by the Government in consultation with the Commission.

7. **Appointment to the Service.-** All appointments to the service, after commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitments.**- In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1)**Age.**- (a) He/She must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age specified in column (4) of the said schedule on the first day of January, next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Schedule-Caste, Schedule Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of five years to a women candidate in accordance with the provision of rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision of Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent Government Servant should not be more than 40 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 40 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project implementation committees.

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his/her age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell:

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.- The term "retrenched Government Servant" denotes a person, who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.- The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service :-

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex-personal of Madras Civil Units;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers;

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-servicemen invalidated out of service;

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers:

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc. Persons recruited from 1-1-1963 onwards as whole time cadets instructors in the N.C.C. shall on release form the N.C.C. on the expiry of their initial/extended tenure be regarded as retrenched Government employees for the purposes of employment in civil posts under the State Government and may be llowed to deduct from their actual age any period of service rendered by them in the N.C.C. and if the resultant age does not exceed the prescribed upper age limit of particular post by more than 3 years, they will be deemed to be satisfying the conditions for appointment to that post in respect of the maximum age provided they possess necessary certificate as per instructions contained in G.A.D. Memo No. 1134+CR-88 I (iii), dated 27-5-1966.

(e) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of the widow, destitute or divorced woman candidates.

(f) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and Other Backward Classes Welfare Department.

(g) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of the "Vikram Aawrd" holder candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxble as per rule in respect of candidate who are the employees of Madhya Pradesh State/Corporations/Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 40 years.

Note.- (1) Candidates, who are found eligible for selection, under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note.- (2) In no other case will these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(2) **Educational Qualifications.-** The candidate must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III :

(a) In exceptional cases the commission may on the recommendation of the Appointing Authority, treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in these rules, but has passed examinations conducted by other institutions by such a standard, which in the opinion of the Committee, justifies the consideration of the candidate for selection, and

(b) Candidates, who are otherwise qualified, but have taken degrees from foreign universities, being university not specifically recognised by the Government may also be considered for appearing the examination/selection at the discretion of the Committee.

(3) **Fees.-** The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.-**

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, may be disqualified by the appointing authority for appearing in examination/ selection.

(2) Any candidate who has married earlier to the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for appointment on the service or post.

(3) Any candidate who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001 shall not be eligible for the service or post.

(4) Any candidate, who has been convicted of any offence against women, shall not be eligible for appointment in the service or post:

Provided that where such cases are pending against any candidate in any court, the matter of his appointment shall be kept pending till the final disposal of the criminal case.

(5) Any candidate who has more than one living wives or if the candidate is female who has married a person who has a wife shall not be eligible for appointment in the service or post.

10. **Commission's Decision About the Eligibility of Candidates shall be final.-** The decision of the commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be allowed to appear in the examinations/interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination.-**

(1) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government, in consultation with the commission from time to time, may determine.

(2) The examination shall be conducted by the commission in accordance with such orders as the Government may from time to time issue in consultation with the commission.

(3) The posts shall be kept reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994.

(4) In filling the reserved vacancies the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) The Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, recommended by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be, under sub-rule (3).

(6) Reservation for women candidates shall be made under the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and if it is found that there is a possibility that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled castes and Scheduled tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, then the remaining vacancies shall not be filled with other candidates without prior approval of the Government and these vacancies shall not be made un-reserved for the candidates other than the category, for which the post or posts have been reserved.

12. **List of Candidates Recommended by the Commission.-**

(1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standard as the committee may determine and list of candidates belonging to the Schedule Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the select list.

(3) The inclusion of the candidate's name in the select list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Probation.-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by promotion.-**

(1) A Committee shall be formed consisting of the members mentioned in Scheduled-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if no member represents scheduled castes or scheduled tribes category amongst other members as directed excluding the member heading the promotion committee, then in that case, a member of the same position shall be included in the promotion committee and the number of members of promotion committee shall be increased up to that limit.

(2) For promotion of members of service as specified in column (2) of Schedule-IV, eligibility of candidate, selection procedure and appointment through promotion shall be as specified in its column (3) as per rules and instructions issued by the General Administration Department.

(3) Every appointing authority, on the promotion order to be issued by him, shall endorse to the effect that he has followed the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Reservation for Schedule Castes, Schedule Tribes and other backward classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and in compliance the instructions issued in light of provisions of said Act and rules by State Government and he is fully aware of the provisions of clause (1) of section-6 of the said Act.

(4) Procedure for promotion of reserved posts shall be as per the instructions issued from time to time by the General Administration Department.

(5) The meeting of the Departmental Promotion Committee shall be arranged at such intervals as instructed by the appointment authority, but ordinarily such interval shall not exceed one year.

15. **Conditions of eligibility for Promotion.-**

The committee shall consider the case of all persons, who on the 1st day of January of that year had completed such number of the years of service whether officiating or substantive on the posts from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration:

Provided that any junior person shall not be considered for promotion in preference to the persons senior to him only on the basis of his completing the period of ordained service.

16. **Selection List.-**

(1) The appointing authority shall consider the select list with the other documents prepared by the Committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the appointing authority considers it necessary to make any changes in the select list received from the Committee, he shall inform the Committee of the changes proposed and, after taking into account the comments of the Committee, he may, after consideration, approve the select list finally with such modifications, if any, as may in his opinion be judicious.

(3) The select list as finally approved by the appointing authority shall be the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (4) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be enforced for one year until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (5) of rule 14 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparations:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the selection list, a special review of the Selection List may be made at the instance of the appointing authority and the Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the selection list.

17. **Consultation with the Commission.-** The recommendation of the Departmental Promotion Committee, presided over by the Chairman or by any member of the commission shall be deemed to be in compliance of the requirement of consultation of the commission under sub-clause (b) of clause (3) of article 320 of the constitution. The separate consultation with the commission shall not be necessary:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it think fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment in the service from the select list.-**

(1) Appointment of the officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list :

Provided that, where the administrative exigencies so require, a person whose name is included in the select list or whose name appear next in order in the select list, may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person, whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his/her name in the select list and the dates of the proposed appointment there occurs any deterioration in his/her work which, in the opinion of the Government is such as to render him/her unsuitable for appointment in the service.

19. **Repeal and Saving.-** All rules corresponding to these rules and enforced immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

Classification, Pay scale and Number of Posts included in the Service

Name of the Department	Name of posts included in the Service	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Directorate of Archaeology Archives and Museum (Gazetted Service)	1. Commissioner/ Director	01	Class-I	141800-214700 (17)	Indian Administrative Service
	2. Joint Director	01	-do-	67300-206900 (13)	
	3. Deputy Director	06	-do-	67300-206900 (13)	
	(i) Zonal-3		-do-	67300-206900 (13)	
	(ii) Excavation-1		-do-	67300-206900 (13)	
	(iii) Museum-1		-do-	67300-206900 (13)	
	(iv) Technical-1		-do-	67300-206900 (13)	
	4. Archaeologist-cum-Curator	22	Class-II	56100-177500(12)	Archaeologist 06 posts and Curator 15 posts and 01 New post for Ujjain museum Total 22 posts equal rank and work.
	5. Archaeological Officer	01	-do-	56100-177500(12)	
	6. Epigraphist	01	-do-	56100-177500(12)	
	7. Numismatist	02	-do-	56100-177500(12)	
	8. Keepar	02	-do-	56100-177500(12)	
	9. Accounts Officer	01	-do-	56100-177500(12)	
	10. Assistant Engineer	05	-do-	42700-135100(10)	In Recruitment Rule 1998- Assistant Engineer sanctioned 02 posts and Registration officer 02 posts and 01 post Horticulturist Total 05 posts included.

	11. Chief Chemist	01	-do-	42700-135100(10)	
	12. Chief Artist	01	-do-	42700-135100(10)	
Archives Section	1. Deputy Director	01	Class-I	67300-206900(13)	
	2. Archives Officer (Archivist)	04	Class-II	56100-177500(12)	
	3. Scientific Officer	01	Class-II	(1) 42700-135100(10) (2) 56100-177500(12)	(1)When the post is to be filled in by promotion. (2) Filled in by direct recruitment through Public Service Commission.

SCHEDELU-II

(See Rule 6)

Method of Recruitment

Name of Department	Name of Service	Total Number of Posts	Percentage of the Number of posts to be filled			Remarks
			By direct Recruitment	By Promotion	By transfer of the persons	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Culture Department Directorate of Archaeology Archives and Museums	(1) Commissioner/ Director	1	-	-	100%	Indian Administrative Service
	(2) Joint Director	1	-	100%	-	
	(3) Deputy Director	6	-	100%	-	In case suitable person is not available for promotion the posts shall be filled in by deputation or by transfer of any persons of other services as may be determined by the State Government on each occasion.
	(i) Zonal-3		-	100%		
	(ii) Excavation-1		-	100%	-	
	(iii) Museum-1		-	100%	-	
	(iv) Technical-1		-	100%	-	
	(4) Archaeologist-cum – Curator	22	50%	50%	-	
	(5) Archaeological Officer	1	100%	-	-	
	(6) Epigraphist	1	100%	-	-	
	(7) Numismatist	2	100%	-	-	
	(8) Keepar	2	-	100%	-	
	(9) Accounts Officer	1	-	-	100%	By deputation from State Finance and Accounts Service Cadre.
	(10) Assistant Engineer	5	-	100%	-	In case suitable person is not available for
	(11) Chief Artist	1	-	100%	-	

	(12) Chief Chemist	1	-	100%	-	promotion the post shall be filled in by deputation or by transfer of any person of other services as may be determines by the State Government on each occasion.
Archives Section	(1) Deputy Director	1	-	100%	-	In case suitable person is not available for promotion the post shall be filled in by deputation or by transfer of any person of other services as may be determines by the State Government on each occasion.
	(2) Archives Officer (Archivist)	4	25%	75%	-	-do-
	(3) Scientific Officer	1	75%	25%	-	-do-

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Age and Qualifications of the persons to be filled in by direct recruitment

Name of Department	Name of Service	Minimum Age limit	Maximum upper Age limit	Prescribed Educational Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Culture Department Directorate of Archaeology Archives & Museums (Gazetted Service)	(1) Archaeological Officer	21 Years	As per the instruction of General Administration Department	**Compulsory:** (1) Master Degree at least in second division in Ancient Indian History Culture & Archaeology. (2) Sanskrit as a subject up to middle standared. **Desirable:** Diploma in Archaeology from any recognized institutions and research work of this subject i.g. Ancient History Archaeology and culture subject. **Note.** Candidates must have passed Higher Secondary or B.A. Examination from any school/collage situated in Madhya Pradesh.	
	(2) Archaeologist-cum-Curator	-do-	-do-	-do-	
	(3) Epigraphist	-do-	-do-	-do-	
	(4) Numismatist	-do-	-do-	-do-	
Archives Section	(1) Archives Officer (Archivist)	21 Years	-do-	**Compulsory:** (A) Master degree at least in second division in the subject of Modern and Medieval Indian History or its equivalent any degree. (B) Three years experience of archives work. (C) Knowledge of English.	
				Desirable: Knowledge of Archives maintenance work and Knowledge of Marathi or Parsi. **Note.** Candidates must have passed Higher Secondary or Graduation Examination compulsorily from any school/collage situated in Madhya Pradesh.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(2) Scientific Officer	21 Years	-do-	**Compulsory:** (A) Master degree at least in second division in Chemistry or its equivalent any degree. (B) Trained in archives conservation and from any institution recogniaed by National Archives of India or the Government.	
				Desirable: Five years experience of scientific conservation or records in Archives Department. **Note.** Candidates must have passed Higher Secondary or B.A. Examination compulsorily from any school/collage situated in Madhya Pradesh.	

SCHEDULE-IV

(See Rule 14)

Name of the Department	Name of post from which promotion is to be made	Experience of Service	Name of post to which the promotion is to be made	Name of the members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Culture Department Directorate of Archaeology Archives and Museums	1.Deputy Director	5 Years	Joint Director	1.Chariman, Public Service Commission or a member nominated by him - **Chairman** 2.Principal Secretary/ Secretary Culture Department - **Member** 3.Commissioner/Director Archaeology Archives and Museum - **Member** 4. Deputy Secretary, Culture Department Co-ordinator -**Member Secretary** Note: **In case there is no representative of Scheduled Castes/Scheduled Tribes then the officer of equal rank of that cadre shall be included**
	2. Archaeologist-cum-Curator/ Archaeological Officer/Epigraphist /Numismatist/ Keepar/ Chief Chemist/ Chief Artist	5 Years	Deputy Director (Regional) Deputy Director (Museum) Deputy Director (Excavation) Note- Experience of five excavation shall be necessary at least for promotion on the post of Deputy Director (Excavation).	
	3.Assistant Engineer	5 Years	Deputy Director (Technical)	
	4.Sub-Engineer	5 years experience for degree (B.E. Civil) holder and 8 years experience for Diploma holder in Civil Engineering	Assistant Engineer	
	5. Senior Artist	5 years	Chief Artist	
	6.(a)Senior Guide (b)Technical Assistant (Excavation) /Technical Assistant (Writing)	(a) 5 years (b) 8 years	Archaeologist-cum-Curator, Keepar	
	7. Chemist	8 years	Chief Chemist	

Archives Section	1.Archives Officer (Archivist)	5years experience in the post of Archives Officer	Deputy Director	1.Chariman, Public Service Commission or a member of nominated by him **- Chairman** 2. Secretary, Government of Madhya Pradesh, Culture Department **-Member** 3.Director Archaeology Archives and Museum **-Member** 4. Deputy Secretary/Special Secretary, Government of Madhya Pradesh, Culture Department **-Member Secretary** **Note: In case there is no representative of Scheduled Castes/Scheduled Tribes then the officer of equal rank of that cadre shall be included.**
	2.Scientific Officer	8 years	Deputy Director	
	3.Registrar/ Assistant Archivist Grade-I	5 years Service on the post of Registrar or 8 Years Service on the post of Assistant Archivist Grade-I	Archives Officer	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2019

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म-2019, 2734 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा पूर्व में निर्माण श्रमिक पंजीयन के संबंध में प्रकाशित अधिसूचना कमांक 549 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 05 अक्टूबर, 2007 एवं अधिसूचना कमांक 1032 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 19 अक्टूबर, 2007 में निम्नानुसार संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से लागू करता है।

<u>अधिसूचना कमांक 549 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 05 अक्टूबर, 2007 की अपात्रता संबंधी कण्डिका 7 यथा –</u>

<u>अपात्रता –</u> अधिनियम मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ बनाया गया है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसे निर्माण श्रमिक जो नियमित वेतन, ई.एस.आई., प्रोविडेण्ट फण्ड, ग्रेच्युटी जैसे लाभ प्राप्त करते है, उन्हें पंजीयन की पात्रता नहीं होगी। संगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक जो पंजीबद्ध कारखानों, पंजीबद्ध दुकान एवं स्थापनाओं अथवा केन्द्र या राज्य सरकार, केन्द्र / राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों अथवा संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनी / स्थापनाओं में नियमित रूप से प्रतिमाह निश्चित वेतन प्राप्त करते है पंजीयन के लिए पात्र नहीं होंगे, जिन्हें उपरोक्तानुसार वर्णित सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो रही है।

<u>विलोपित की जाती है।</u>

<u>अधिसूचना कमांक 1032 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 19 अक्टूबर, 2007 की अपात्रता संबंधी कण्डिका 7 यथा –</u>

<u>अपात्रता –</u> अधिनियम मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ बनाया गया है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसे निर्माण श्रमिक जो नियमित वेतन, ई.एस.आई., प्रोविडेण्ट फण्ड, ग्रेच्युटी जैसे लाभ प्राप्त करते है, उन्हें पंजीयन की पात्रता नहीं होगी। संगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक जो पंजीबद्ध कारखानों, पंजीबद्ध दुकान एवं स्थापनाओं अथवा केन्द्र या राज्य सरकार, केन्द्र / राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों अथवा संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनी / स्थापनाओं में नियमित रूप से प्रतिमाह निश्चित वेतन प्राप्त करते है पंजीयन के लिए पात्र नहीं होंगे, जिन्हें उपरोक्तानुसार वर्णित सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो रही है।

<u>विलोपित की जाती है।</u>

एल. पी. पाठक, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.